

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक, अनुभाग)

प.4(56)वित्त-1(1)आय.व्य/2016

जयपुर, दिनांक : 22.3.2018

स्वीकृति संख्या:-837/2017-18

कोषाधिकारी,
बारां।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी.खाते में राशि रुपये 693.69 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्त लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7(सहरिया/सीसीडी प्रस्ताव/2016-17 स्वीकृति सं. 71/2017-18 दिनांक 15.03.2018 राशि रु. 96.00 लाख, स्वीकृति सं. 72/2017-18 दिनांक 15.03.2018 राशि रु. 200.00 लाख, स्वीकृति सं. 73/2017-18 दिनांक 15.03.2018 राशि रु. 92.00 लाख एवं स्वीकृति सं. 74/2017-18 दिनांक 15.03.2018 राशि रु. 305.69 लाख में अंकित शर्तों के अनुसार कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी. खाते में कुल राशि रुपये 693.69 लाख (अक्षरे रुपये छः करोड़ तिरानवे लाख उनहत्तर हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे।

मांग संख्या -30

4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना

(26) - केन्द्रीय योजनान्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य

[01] - सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत सहरिया बंगला का निर्माण एवं नवीनीकरण

17 - वृहद निर्माण कार्य (केन्द्रीय सहायता) राशि रुपये 96.00 लाख मात्र

[07] - सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत जनजाति भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण

17 - वृहद निर्माण कार्य (केन्द्रीय सहायता) राशि रुपये 200.00 लाख मात्र

[08] - सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण

17 - वृहद निर्माण कार्य (केन्द्रीय सहायता) राशि रुपये 92.00 लाख मात्र

[09] - सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण

17 - वृहद निर्माण कार्य (केन्द्रीय सहायता) राशि रुपये 305.69 लाख मात्र

योग राशि रु. 693.69 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(Handwritten Signature)
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- ✓ 3. संयुक्त निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. जिला कलक्टर, बारां।
6. कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां)।
7. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

Wink

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

22/3/18
14